म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल.

क./बोर्ड/यो./गैर.तक./16/2017–18/649 भोपाल, दिनांक 6 /02/2018

आदेश

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का आदेश क्रमांक/बी–6/नियमन/सहायता योजना/3674 दिनांक 27/09/2008 द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के लिये मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 दिनांक 13/09/2008 से प्रभावशील की गई है, एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/यो./गैर.तक./72/2014–15/3170 दिनांक 15/09/2014 द्वारा ''मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 (संशोधित वर्ष 2014)'' योजना संचालित है।

''मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008''(संशोधित वर्ष 2014) की कंडिका क्रमांक 06 में प्रावीण्य छात्रवृत्ति सहायता का लाभ आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए ''अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के दो पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति सहायता के लाभ हेतु पात्रता होगी। शेष शर्तें यथावत रहेगी। जिन प्रकरणों में वर्तमान में छात्रवृत्ति सहायता दी जा रही है उनको यथावत रखा जावे।

यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध सचांलक–सह–आयुक्त,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क./बोर्ड/यो./गैर.तक./16/2017–18/650 भोपाल, दिनांक 06/02/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) विशेष सहायक, मान.मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0शासन, भोपाल.
(2) प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, म0प्र0शासन, भोपाल।
(3) प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
(4) प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
(5) प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
(6) आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, म0प्र0शासन, भोपाल।
(7) मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, 1250, तुलसी नगर, भोपाल.
(8) कलेक्टर, जिला–.............................म.प्र. (समस्त)
(9) अपर संचालक(वित्त), म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर योजना मे प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
(10) संयुक्त/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... (समस्त) की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि वे संशोधित योजना का क्रियान्वयन अधीनस्थ मंडी समिति में सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।
(11) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.................................जिला.............................(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि योजना का प्रचार प्रसार किया जावे एवं संशोधित योजना के क्रियान्वयन के लिये जारी निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल